49

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 271—एक/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—12—2012 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव के प्रकरण क्रमांक 21अ/6/2011—12/पुनरीक्षण

.....

कल्याण सिंह राजपूत आ0 दमरू सिंह राजपूत,
निवासी — गोहचर, तहसील गोटेगांव
जिला— नरसिंहपुर (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— अर्जुन सिंह आ0 दमरू सिंह राजपूत,
2— मुन्ना आ0 अमान सिंह राजपूत,
निवासीगण — गोहचर, तहसील गोटेगांव
जिला— नरसिंहपुर (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—12—2012 के विरूद्ध मध्यंप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि मौजा गोहचर न0व0145 पटवारी हल्का नं0 6 तहसील गोटेगांव, जिला–नरसिंहपुर में स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 43, 44/1, 45, 69 रकबा क्र0 1.153 है0, 1.599 है0, 3.917 है0, 0.081 है0 पर अत्र आवेदक व अनावेदक का संयुक्त खाते में नाम दर्ज चला आ रहा था । सहभूमि स्वामी के द्वारा आपसी सहमति से ग्राम पंचायत गोहचर में प्रस्ताव क्र0 5 आदेश दिनांक 20.08.97 एवं संशोधन क्र0 5/105 पर बटवारा करवाया गया था और बटवारे के उपरांत पृथक–पृथक ऋण पुस्तिका प्राप्त कर अलग–अलग काबिज चले आ रहे है । अनावेदक क्र0 1 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 24.04.2012 को प्रस्तुत की गई थी और अगल से विलंब माफ करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 16.04.12 को वर्णित की गई तथ आवेदन के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21अ/6/2011–12/पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि सह भू–स्वामी के द्वारा आपसी सहमति से बटवारा करवाया गया है तथा बटवारा के उपरांत ऋण पुस्तिका प्राप्त हो गई थी तथा प्रत्येक वर्ष किश्त भी अदा करना पड़ती है और ओला–पाला की राशि भ प्राप्त हुई है तब ऐसी परिस्थिति में 15 वर्ष बाद जानकारी होना मानकर आवेदन पत्र स्वीकार किया है । विलंब के आवेदन पत्र में सुनवाई करते समय विलंब माफ करवाने वाले पक्षकार के आवेदन पत्र में वर्णित कारणों को देखा जाता है । अनावेदक ने आवेदन पत्र की कंडिका 03 में नई ऋण पुस्तिका बनाये जाने का कारण बताया गया है। पक्षकार को न्यायालय के समक्ष खुले व साफ शुद्ध हाथों से उपस्थित होना चाहिये, जबकि अनावेदक द्वारा न्यायालय में दुर्भावनापूर्वक उपस्थित हुआ है तथ्य छिपाये गये है और कोई भी पर्याप्त कारण दशिर्त नहीं किया गया । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा यह देखने का प्रयास नहीं किया गया कि आवेदक के द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र का विरोध प्रकट करते हुये जवाब शपथ–पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो तथ्य लिखे गये है उन पर अविश्वास किया गया है, क्योंकि वर्ष 2000 में विक्रय पत्र अनावेदक क्र0 1 के द्वारा निष्पादित किया है जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है और वर्ष

97 में सहमति से बटवारा हुआ है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा गोहचर न0व0145 पटवारी हल्का नं0 6 तहसील गोटेगांव, जिला–नरसिंहपुर में स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 43, 44/1, 45, 69 रकबा क्र0 1.153 है0, 1.599 है0, 3.917 है0, 0.081 है0 पर अत्र आवेदक व अनावेदक का संयुक्त खाते में नाम दर्ज चला आ रहा था। सहभूमि स्वामी के द्वारा आपसी सहमति से ग्राम पंचायत गोहचर में प्रस्ताव क्र0 5 आदेश दिनांक 20.08.97 से दुखी होकर अनावेदक क्र0 1 अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत किया तथा साथ ही धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र भी पेश किया गया। अनावेदक ने अपीलीय न्यायालय में धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया की अपीलाधीन आदेश पारित होने के पूर्व उसे सूचना नहीं दी गई । उसकी सुनवाई के बिना ही आदेश पारित किया गया है । आवेदन पत्र सद्भाविक होने से विलम्ब माफ कर धारा 5 का आवेदन स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है । इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया है कि अनावेदक ने 15 वर्ष विलम्ब में अपील प्रस्तुत किया है, जिसमें दैनिक विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं है । अतः अपील समयबाह्य होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । अतः अपील मय धारा 5 का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । चूँकि अपीलाधीन नामांतरण की प्रविष्टि क्रमांक 5 दिनांक 01.02.97 की प्रविष्टी पर अनावेदक क्र0 1 के हस्ताक्षर नहीं है । अतः प्रथम दृष्टि स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामांतरण प्रविष्टि प्रमाणित करने के पूर्व अनावेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील समय म्याद प्रतीत होने से धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र विलम्ब न्याय हित में क्षमा किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव ने अपने आदेश में इस बात का ध्यान दिया है कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निराकरण करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकार किस कारणवश विलंब हुआ, यदि धारा 5 के आवेदन पत्र में विलंब का कारण स्पष्ट किया गया है तो ऐसा आवेदन पत्र क्षमा किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव द्वारा अपने विवेकानुसार

उचित आदेश पारित किया गया है । मैं अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर